किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– जोगाराम बनाम अर्जुन मु.नं. 65/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 9 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 1 से 8 व 10 से 42 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थी संख्या 9 के वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विप्रार्थी वकील की बहस है कि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया गया है। विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन किया। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि पर नेखम कायम करना चाहते है। जिस बाबत् विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। बहसप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महादेवनगर तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 798/167, 799/170 व 820/170 कुल रकबा 01.4002 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहसीलदार जारी [illegible] पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:30:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद/2025/959

दिनांक : 13-05-2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जोगाराम पुत्र जीवाराम		अर्जुन पुत्र भंवरलाल वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं:–65/2024

दिनांकः–02.05.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम महादेवनगर तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 798/167, 799/170 व 820/170 कुल रकबा 01.4002 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद /2025/960

दिनांक : 13-05-2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आव”यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी समदड़ी को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री जोगाराम पुत्र जीवाराम जाति माली निवासी महादेव नगर तहसील समदड़ी जिला बालोतरा को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:30:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना
सिवाना (बालोतरा)